



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 584/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कृपा बरला  
आची होरो

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
28.10.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक कृपा बरला पिता स्व० लच्छु बरला ग्राम जोबे, पोस्ट माहिल, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने आची होरो पति कार्तिक होरो ग्राम जोबे, पोस्ट माहिल, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>जोबे</td><td>260</td><td>11</td><td>83</td><td>0.24</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 670 दिनांक 14.10.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 0.46 डी० भूमि बचता है। इस कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के जांच प्रतिवेदन अनुसार वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 28/10/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 28/10/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	जोबे	260	11	83	0.24	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
जोबे	260	11	83	0.24								